ध्य प्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वाहनों का क्रय तथा अनुरक्षण) नियम, 1975[1]

THE MADHYA PRADESH ADHYAKSHNA TATHA UPADHYAKSHA (VAHANO KA KRAYA TATHA ANURAKSHNA) NIYAM, 1975

क्र० एफ-4-611 (एक)-73-इक्कीस-अ (स० का०) मध्य प्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष त. .था भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्र० 27 सन् 1972) की धारा 5 तथा धारा 10 द्वारा त्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के लिए हनों का क्रय तथा अनुरक्षण विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

नियम

1. ये नियम मध्य प्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वाहनों का क्रय तथा अनुरक्षण, नियम, 75 कहलायेंगे।

2. इन नियमों में "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन भत्ता) अधिनियम, 1972 (27 सन् 1972)।

3. राज्य सरकार, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उनके उपयोग के लिए एक मोटरगाड़ी की स्था करेगी। गाड़ी 30,000-00 रुपये से अनधिक मूल्य की होगी। गाड़ी की बनावट तथा त ऐसा होगा जैसा कि राज्य सरकार प्रत्येक मामले में उपयुक्त समझें।

4. गाड़ी, उसके उप साधनों (एकसेसरीज) सहित राज्य सरकार की सम्पत्ति रहेगी। जब क्ष या उपाध्यक्ष अपना पद त्याग दें, उसकी गाड़ी उप साधनों सहित मध्य प्रदेश विधान सभा ...ो वापिस कर दी जायेगी।

5. कोई भी गाड़ी तब तक नहीं बदली जायेगी तब तक कि उसने पाँच वर्ष तक की पूरी न की हो या 20 हार्स पावर के ऊपर गाड़ी के मामले में 1,20,000 किलोमीटर की री तथा 20 हार्सपावर से नीचे की गाड़ी के माले में 80,000 किलोमीटर की कुल दूरी कर ली हो :

परन्तु यह कि ऐसी मोटर गाड़ी, जो पाँच वर्ष की सर्विस पूरी कर लेने के पूर्व या ऊपर ष्ट की गई कुल दूरी तय कर लेने के पूर्व किसी भी कारण से अनुपयुक्त हो जाये, शासकीय के लिए शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् जा सकेगी।

---

[1] प्र० भाग 4 (ग) दिनांक 24 जनवरी 1975 के पृष्ठ 35-36 पर प्रकाशित।

6. (1) गाड़ी के अनुरक्षण तथा रख-रखाव के व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे ।

टिप्पणी —गाड़ी के अनुरक्षण तथा रख-रखाव में सम्मिलित है मोटर चालक (शोफर) का वेतन रजिस्ट्रीकरण, बीमा फीस को सम्मिलित करते हुए समस्त कर, मरम्मत के समस्त व्यय जिसके अन्तर्गत नियतकालिक सर्विसिंग आदि आते हैं तथा टायर और ट्यूबें को सम्मिलित करते हुए घिसे भागों (पार्टस) का बदला जाना ।

(2) प्रत्येक मास के प्रारम्भ में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधान सभा के सचिव को यह कथित करते हुए एक प्रमाण पत्र अग्रेषित करेगा कि अधिनियम की धारा 5 के अधीन अनुज्ञात यात्राओं के उपयोग हेतु ठीक पूर्ववर्ती मास के दौरान उसके द्वारा मोटर ईंधन की कुल कितनी मात्रा क्रय की गई ।

7. मध्य प्रदेश स्पीकर एण्ड डिप्टी स्पीकर (परचेज एण्ड मेन्टेनेन्स आफ कनवेयन्सेज) रूल्स 1957 एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की कोई बात या की गई कोई कार्यवाही जब तक कि ऐसी कोई बात या कार्यवाही इन नियमों के किन्हीं भी उपबन्धों से असंगत न हो इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी ।

———